5/3/25 आज पत्रावली पेश हुई वकील अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी क्र. 2, 3 को सम्मन तामील हुए एक माह से अधिक का समय हो चुका है बार-बार आवाज लगाने पर भी प्रस्तुत नहीं अथवा उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी 2, 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसील वापिस रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है बहस वकील अप्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी इस बात पर सहमत है कि अमल करने के पश्चात आराजी का सीमाज्ञान व पत्थर गढ़ी की कार्यवाही कराये जाने पर सहमत है। अतः आदेशिका जारी (सीमा) किया जाता है कि प्रस्तुत ही लिखाया जाकर नासिक पत्रावली [illegible] गया। पालना तहसीलदार बाड़ी को भेजी [illegible] जावे। पत्रावली [illegible] हेतु दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री भगवत शरण त्यागी (आर0ए0एस0)

उनवानी

शिवचरन

बनाम

तहसीलदार बाडी

1. शिवचरन पुत्र विजेराम जाति मीना निवासी ग्राम धनोरा तहसील बाडी जिला धौलपुर

प्रार्थी :–

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार तहसील बाडी जिला धौलपुर
2. भोगीराम पुत्र किशोर जाति मीना निवासी ग्राम धनोरा तहसील बाडी
3. सुल्तान सिंह पुत्र रामभरोसी जाति मीना निवासी ग्राम सनोरा तहसील बाडी

उपस्थित प्रार्थी के वकील – श्री बच्चूसिंह परमार एड0

अप्रार्थीगण :–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111/128 एल.आर.एक्ट

वास्ते पत्थरगढी कराये जाने बावत

प्रकरण सं0 :– 15/2023

दिनांक :– 05.03.2025

आदेश

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी आराजी खसरा नगर 386 रकवा 0.2909 हैक्टेयर बांके ग्राम सनोरा तहसील बाड़ी में स्थित का खातेदार काश्तकार है व मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु प्रार्थी की उक्त आराजी की राजस्व सीमा मेड पडोसी खातेदारान अप्रार्थीगणों ने अस्त व्यस्त कर दी थी, जिसकी सीमांज्ञान प्रार्थी ने नियमानुसार श्रीमान तहसीलदार बाडी के आदेशानुसार राज्य कर्मचारियों द्वारा आदेश क्रमांक 52 दिनांक 05.06.2018 को कराकर नियमानुसार मौका पर्चा की नकल प्राप्त की। जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी की उक्त आराजी की दो दिशाओं में खसरा नम्बर 387 अप्रार्थी संख्या 3 सुल्तान सिंह की स्थित है व एक दिशा में खसरा नम्बर 411 अपांर्थी संख्या 2 दो भोगीराम की आराजी स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 385 का खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 मिल्कियत सरकार है। प्रार्थी को उक्त आराजी की राजस्व सीमा मेड पर अब अप्रार्थीगण विवाद करने लगे है। अप्रार्थीगणों ने प्रार्थी की आराजी की राजस्व सीमा मेड को अस्त व्यस्त कर दिया है। कभी प्रार्थी के खेत की मेड को जोत देते है और कभी राजस्व सीमा को लेकर झगडा करने लगते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को यह आवश्यक हो गया है कि वह सीमा विवाद के स्थायी निदान के लिए अपनी आराजी की सीमा पर न्यायालय के आदेश से पत्थार गढ़ी कराये। प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण से समझाईस की है, परन्तु अप्रार्थीगण जान बूझकर प्रार्थी को परेशान कर रहे है। तब प्रार्थी ने सीमा विवाद को निपटाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाडी से निवेदन किया है तो तहसीलदार बाडी ने मना करते हुए कहा कि आप हमारे लिए न्यायालय से आर्डर लेकर आओ तो हम पत्थार गढ़ी करा देंगे। इसलिए प्रार्थी श्रीमान जी के समक्ष

उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

प्रार्थना पत्र पेश करता है। प्रार्थी की उक्त आराजी का सीमाज्ञान के आधार पर पत्थार गढ़ी नही कराई गई तो प्रार्थी को अपरमित क्षति होने की पूरी पूरी सम्भावना है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि :–

प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 386 रकवा 0.2909 हैक्टेयर बांके ग्राम धनौरा तहसील बाडी में सीमा विवाद के स्थाई निदान के लिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थर गढी के आदेश फरमाये जावें तथा अप्रार्थीगणों को पाबंद किया जाये कि वे प्रार्थी की आराजी की सीमा पर पत्थर गढ़ी होने पर अथवा उसके उपरान्त भविष्य में सीमा से सम्बंधित कोई विवाद नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 2 व 3 वावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित आये। अतः उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार बाडी से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाडी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि मुताबिक पटवारी हल्का धनौरा के आ0ख0नं0 386 प मौकेपर गैंहू की फसल खडी होने के कारण पत्थरगढी, सीमाज्ञान किया जाना संभव नहीं है।

बहस वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं0 2076–79 में प्रार्थी प्रश्नगत आराजी का तन्हा खातेदार काश्तकार अंकित है। बहस में प्रार्थी के वकील ने इस तथ्य पर सहमति जाहिर की कि अगर उक्त आराजी का सीमाज्ञान फसल कटने के पश्चात राजस्व टीम बनाकर किया जावे एवं पत्थरगढी कराई जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा राज0काश्त0अधि0 के मुताबिक प्रत्येक खातेदार अपनी खातेदारी की आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का हकदार होता है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी ख0नं0 386 रकवा 0.2909 बांके ग्राम धनौरा तह0 बाडी में खडी फसल कटने के पश्चात राजस्व टीम बनाई जाकर मौके पर सीमाज्ञान कराया जाकर तदुपरान्त पत्थरगढी की कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये जाते है। उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु परवाना तहसीलदार बाडी को जारी हो। पत्रावली बाद तकमीलन दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज